बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in ,   E-mail Id : infobasa1@gmail.com

[illegible],
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

सचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव:- * राजनन्द वार्डियार
* अखिल कुमार
कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

: 35 दिनांक 26-07-2012

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग,
<u>बिहार, पटना</u> ।

विषय – रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 की वित्त विभाग द्वारा गलत व्याख्या करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का मूल सिद्धांत ही है कि कर्मियों में नियमित प्रोन्नति में विलम्ब (**Promotional stagnation**) की हताशा को कम करने के लिए उन्हें समय-समय पर वित्तीय उन्नयन दिया जाय। इसी क्रम में पूर्व में सरकार द्वारा कालबद्ध प्रोन्नति, फिर सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं वर्तमान में रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना' 2010 लायी गई है। वर्तमान योजना में एक ही ग्रेड पे में लगातार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तथा पुरे सेवा काल में अधिकतम तीन वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने का प्रावधन किया गया है। इस योजना में 'उत्क्रम' को '<u>योजना के अधीन परिलक्षित किए गए मूल कोटि से उच्चतर कोटि का ग्रेड पे</u>' परिभाषित किया गया है। योजना के अधीन परिशिष्ट-I में वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने की शर्त्त एवं प्रक्रिया में भी वित्त विभाग के वेतन पुनरीक्षण संकल्प सं0-630 दिनांक 21 जनवरी 2010 की अनुसूची-I में वर्णित ग्रेड पे की श्रृंखला में महज उपर के ग्रेड पे में वित्तीय उन्नयन दिए जाने की व्याख्या की गई है। छठे वेतन आयोग के आलोक में गठित वेतन समिति की अनुशंसा के अनुरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को पे-बैंड 2 और ग्रेड-पे 5400 (चार वर्ष की सेवा एवं सेवा सम्पुष्टि के पश्चात् पे-बैंड 3 और ग्रेड पे 5400) अनुमान्य किया गया है। इस योजना में कहीं भी पे-बैंड के नामांकरण में बदलाव को वित्तीय उन्नयन परिभाषित नहीं किया गया है जो कि उचित भी है क्योंकि जबतक किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं मिलता हो तो उसे वित्तीय उन्नयन नहीं माना जा सकता है। परंतु इसे लागू करने के क्रम में वित्त विभाग के पत्रांक-3ए-9-विविध-

83/2009-8710 दिनांक-19-09-2010 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए रूपांतिरत सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 की दोषपूर्ण व्याख्या करते हुए एक ही ग्रेड पे -5400 में 14 वर्ष की सेवा के उपरांत पहला वित्तीय उन्नयन ग्रेड पे 6600 अनुमान्य किया गया है तथा पुरे सेवा काल में तीन की जगह केवल दो वित्तीय उन्नयन यथा ग्रेड पे- 6600 एवं 7600 ही अनुमान्य किया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी वर्तमान में पे बैंड 2 एवं ग्रेड पे 5400 पर नियुक्त हो रहे है तथा उनको प्रथम नियुक्ति की तिथि को बैंड पे 14880 एवं ग्रेड पे 5400 प्राप्त हो रहा है। चार वर्षो की सेवा अवधि के बाद चार वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त इनका बैंड वेतन 17440 हो जाता है जो कि पे बैंड 3 के न्यून्तम वेतन सीमा 15600 से अधिक है। इसीलिए पे बैंड 2 से पे बैंड 3 मे वेतन परिवर्तन के वक्त किसी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को नहीं प्राप्त होता है। साथ ही उनका ग्रेड पे भी 5400 ही रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में वित्त विभाग के उपर्युक्त वर्णित दिनांक 19-09-2011 के पत्र की कंडिका-1 में मूल कोटि में पी0बी0 2+5400 से चार वर्ष की सेवा के बाद पी0बी0 3+5400 को प्रथम वित्तीय उन्नयन बताया जाना ना केवल त्रुटिपूर्ण है बल्कि ए0सी0पी0 के मूल सिद्धांतों के भी विरूद्ध है।

2) बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि में तीन बैचों यथा 40, 41 एवं 42वीं बैच के पदाधिकारियों की सेवा अवधि अद्यतन 10 वर्ष से अधिक की हो गई है परन्तु इन बैचों को अभी तक प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है। इस संदर्भ में भी प्रशासी विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) को वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्श दिया गया है कि 40, 41 एवं 42वीं बैचों को जनवरी'2006 से 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त जनवरी' 2016 में पहला वित्तीय उन्नयन देय होगा। इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि 40वीं बैच का सेवा में योगदान की तिथि अगस्त'97, 41वीं बैच का का सेवा में योगदान की तिथि फरवरी/मार्च'99 एवं 42वीं बैच का सेवा में योगदान की तिथि अक्टूबर'2000 हैं। वित्त विभाग के इस अनुचित परामर्श पर कार्रवाई करने पर 40वीं बैच को 18 वर्ष से अधिक की सेवा के उपरान्त, 41वीं बैच को 16 वर्ष से अधिक की सेवा के उपरान्त और 42वीं बैच को 15 वर्ष से अधिक की सेवा के उपरान्त प्रथम वित्तीय

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- * राजयबन्द वार्डियार
* अखिल कुमार

कोषाध्यक्षः:- * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्षः:- * विनोद आनन्द

पत्रांक :................................ दिनांक ....

उन्नयन देय होगा। यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि इन सभी बैचों क़ी सेवा अवधि छठे वेतन आयोग के लागू करने की तिथि को क्रमशः 08, 06, एवं 05 वर्षो से अधिक की थी तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को सरकार द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक-01-01-2006 के प्रभाव से 8000-275-13500 का प्रवेश वेतनमान वैचारिक रूप से स्वीकृत किया गया था लेकिन वरीयता अनुरूप वेतन निर्धारण का लाभ नहीं दिया गया था। जिसके कारण मूल कोटि के विभिन्न बैचों के पदाधिकारियों का मूल वेतन एक ही स्तर पर निर्धारित कर दिया गया। उपर वर्णित बैचों का 01 जनवरी 2006 को पुनरीक्षित वेतन में प्रतिस्थानी बैंड पे 3 एवं ग्रेड पे 5400 पर वेतन निर्धारित हुआ था। यहाँ स्पष्ट करना है कि उपर्युक्त वर्णित बैचों का वेतन 01 जनवरी 2006 को पुराने वेतनमान का छठे वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित प्रतिस्थानी वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारित हुआ है न कि कोई वित्तीय उन्नयन स्वीकृत हुआ है ।

भवदीय से अनुरोध होगा कि वित्त विभाग के द्वारा उत्पन्न किए गए इन भ्रम की स्थितियों एवं त्रुटियों को दूर करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना'2010 के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन 10 वर्ष के उपरान्त ग्रेड पे 6600 में, दूसरा वित्तीय उन्नयन 20 वर्ष के उपरान्त ग्रेड पे 7600 में तथा तृतीय वित्तीय उन्नयन 30 वर्ष के उपरान्त ग्रेड पे 8700 में देने तथा उपर वर्णित 40वीं, 41वीं एवं 42वीं बैचों के पदाधिकारियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना' 2010 के लागू होने की तिथि को एवं उसके उपरान्त 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने की तिथि से पहला वित्तीय उन्नयन अगला उच्चतर कोटि के ग्रेड पे 6600 में देने का तत्काल निदेश जारी किया जाय ।

विश्वासभाजन,

सुशील 21/07/12

(सुशील कुमार)

महासचिव